डिकी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20,रूल 6–7,जाप्ता दीवानी)

(Civil procedure code,Appendix "D 1")

ब अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम :पदमपुर
ब इजलास श्री सुभाष कुमार (आर.ए.एस)
अनवान :– सरोज बनाम हेमादेवी आदि
धारा :–88,92ए,188 आरटीए,
मुकदमा नं0 376 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री धीरज अरोड़ा वादी व हाजरी मिनजानिब मुदई श्री सुभाषचन्द किनरा मुदायलहम पेश कर होकर हुक्म दिया गया है।

वादी का वाद पत्र राजीनामा के आधार पर

तहसील पदमपुर के चक 15 ईई ए की जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता सं0 175 के मुरबा नं0 58 के किला नं0 1 से 25 में 6.325 है0 बारानी भूमि में से 9/10 हिस्सा जो प्रतिवादी सं0 1 हेमादेवी पत्नि बलदेवराज के नाम से है, में से 5.187 है0 बारानी भूमि वादीया सरोज पुत्री बलदेवराज पत्नि राजन साहू जाति मेघवाल निवासी रायसिंहनगर हाल नया भूपालपुरा खारा कुआ तहसील गिर्वा जिला उदयपुर को खातेदार मालिक घोषित किया जाता है।

उक्त भूमि रिकार्ड में बैंक में रहन दर्ज होने पर खातेदारान के संयुक्त खाते में अंकित हिस्सा में बदलाव की स्थिति में रहन मुक्त होने के बाद निर्णय की पालना की जावे। खाता विभाजन की स्थिति में खातेदारान के हक हिस्से में बदलाव न होने की दशा में संबंधित खातेदार के खाते में बैंक का रहन यथावत दर्ज किया जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह 12 सन 2020 को जारी की गई।

मुहर

सुभाष कुमार
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

मुदई	रूपये	पैसा	मुदावली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	03	0	स्टाम्प वकालतनामा	01	0
स्टाम्प वकालतनामा	01	0	स्टाम्प अरजी	01	0
स्टाम्प डयूटी	00	0	मेहनताना वकील पर	0	0
थमजान	04	0	मिजान	02	0

मुहर

सुभाष कुमार
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)